

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

अधिकारी :- बन्शीधर योगी, (आर०ए०एस०)

संख्या :- 40/2024 प्र०क

विषय :- 56 खजाना पुस्तक नं० कैरीया खेड़ा - 220 करेड़ा

प्रार्थी.....

बनाम

पंजीबद्ध 56 खजाना पुस्तक नं० कैरीया खेड़ा - 220 करेड़ा

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम करेड़ा पटवार हल्का खजाना 56 तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 219 आराजी नम्बर 914, 915, 916,

कुलकिता 3 रकबा 1872 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30/11/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को देखते ही से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का संभव है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करेड़ा पटवार हल्का खजाना 56 तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 219 आराजी नम्बर 914, 915, 916,


कुलकिता 3 रकबा 1872 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की जांच करी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक श्री. राधा को 800/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये पत्थरगढी को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा



तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर करेड़ा